



सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स  
**विश्वविद्यालय कन्या महाविद्यालय,**  
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,  
नार्थ केम्पस, ग्राम बिलोता, जिला-राजसमन्द

क्रमांक:प.202 / सामान्य / बिलोता / मोलासुवि / 2023 / 08

दिनांक: 27-07-2023

**(बी.ए. प्रथम वर्ष (कला) पाठ्यक्रम में प्रवेश सूचना सत्र 2023-24)**

बी.ए. प्रथम वर्ष (कला) पाठ्यक्रम में प्रवेश के संदर्भ में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश हेतु आवेदकों की अन्तिम वरियता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट ([www.mlsu.ac.in](http://www.mlsu.ac.in)) एवं महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु काउन्सलिंग दिनांक 05 अगस्त, 2023 तक नीचे दर्शाये गये वरियता क्रम से प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ होगी।

दिनांक	समय	मेरिट नम्बर
05 अगस्त, 2023	प्रातः 09:00 बजे से 10:00 बजे तक	01 से 30
	प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे तक	31 से 60
	दोपहर 01:00 बजे से 02:00 बजे तक	भोजनालय अवकाश
	दोपहर 02:00 बजे से 03:00 बजे तक	61 से 83

प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी काउन्सलिंग के दिन वरियता सूची के अनुसार निर्धारित तिथि एवं वरियता क्रम में समय से एक घण्टा पूर्व अपने निम्नांकित दस्तावेजों की मूल एवं 1-1 सत्यापित प्रति-

1. प्रवेश आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी
2. 10वीं व 12वीं अंक तालिका
3. जाति प्रमाण पत्र (OBC एवं EWS के अभ्यर्थियों का पिछले तीन वर्ष का बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)
4. NCC, NSS, Sports etc. प्रमाण पत्र (भारत/ Weightage हेतु )
5. गैप/अन्तराल प्रमाण पत्र शपथ पत्र पर (12वीं सत्र 2023 में नहीं उत्तीर्ण की हो तो)
6. टी.एस.पी. प्रमाण पत्र
7. अनाथ/शहीद/सैन्य/पुलिसकर्मी/ट्रांसजेंडर/कोरोना से मृत माता-पिता की संतान
8. राज्य से बाहर के बोर्ड से 12वीं करने वाले का राजस्थान निवास एवं जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
9. आधार कार्ड

महाविद्यालय का अनुमानित नकद प्रवेश-शुल्क छात्रा (Girls) रु. 3770/-सहित अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होंगे। उपरोक्त में से एक भी प्रमाण पत्र नहीं होने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

कला पाठ्यक्रम के वैकल्पिक विषय समूह निम्नांकित होंगे:-

1. विषय समूह- अ - राजनीति विज्ञान/इतिहास/हिन्दी साहित्य
2. विषय समूह- ब - इतिहास/राजनीति विज्ञान/समाज शास्त्र
3. विषय समूह- स - समाज शास्त्र/संस्कृत/हिन्दी साहित्य
4. विषय समूह- द - अंग्रेजी साहित्य/अर्थशास्त्र/लोक प्रशासन

नोट: गलत प्रमाण पत्र देने पर एवं पाए जाने पर आवेदक का प्रवेश होने के बाद भी दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

नोडल अधिकारी